(70)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर
ई–मेल : sjeraj_ww@yahoo.com, फोन : 0141–2226605, 2226621

क्रमांकः एफ. 15 ( ) ( )/सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/ 27569 जयपुर, दिनांक :29/04/2016

आदेश

राजस्थान राज्य में ट्रांसजेण्डर समुदाय की समस्याओं का अध्ययन कर, उनके निराकरण हेतु विशिष्ठ नीति निर्धारण करने तथा आवश्यकतानुसार नवीन योजनाओं के निर्माण एवं संचालन के लिये विभिन्न राजकीय विभागों को समुचित परामर्श प्रदान किये जाने हेतु राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

परिचय

राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित अभिशंषाओं को लागू करवाने का प्रयास करना है।

राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान होगा।

राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की संरचना

1. माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान – अध्यक्ष
2. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान – उपाध्यक्ष
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान – सदस्य–सचिव

सदस्य

(क) शासकीय सदस्य

1. निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान सदस्य
2. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं न्याय, राजस्थान सदस्य
3. निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सदस्य
4. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सदस्य
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सदस्य
6. संयुक्त शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान सदस्य
7. आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान सदस्य
8. महाप्रबंधक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास मिशन सदस्य
9. निदेशक, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सदस्य
10. निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान सदस्य
11. आयुक्त/निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सदस्य
12. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सदस्य
13. प्रतिनिधि, राज्य महिला आयोग, राजस्थान सदस्य
14. प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान सदस्य
15. प्रतिनिधि, राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राजस्थान सदस्य

(ख) गैर शासकीय सदस्य

शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति गैर शासकीय सदस्यों के रूप में की जायेगी। इनका कार्यकाल नियुक्ति आदेश की तिथि से 3 वर्ष के लिये होगा।

1. ट्रांसजेण्डर समुदाय के 4 प्रतिनिधि — सदस्य
2. ट्रांसजेण्डर समुदाय के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के 2 प्रतिनिधि — सदस्य

उद्देश्य एवं कार्य

1. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड का कार्य ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुये इन्हें सामाजिक आश्रय एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु नीति निर्माण एवं अभिशंषा प्रस्तुत करना है।
2. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड का कार्य, विभिन्न राजकीय विभागों को इस प्रकार की योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में परामर्श प्रदान किया जाना होगा, जिससे ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को सामाजिक सम्मान एवं सुरक्षा के साथ–साथ समुचित वित्तीय सहायता, आवास व्यवस्था, चिकित्सा सेवायें, शिक्षा एवं रोजगार के कार्य उपलब्ध कराये जा सकें।
3. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन कर ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिये उनमें परिवर्धन हेतु अपने सुझाव प्रेषित किये जायेंगे।
4. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा राज्य में सर्वे इत्यादि के माध्यम से ट्रांसजेण्डर समुदाय से संबंधित विभिन्न आंकडे एकत्रित कर इनकी समस्याओं की पहचान की जायेगी।
5. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिये हैल्प लाईन की सेवा प्रदान की जायेगी, जिसमें न केवल इस समुदाय को शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा अपितु राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन भी दिया जायेगा।
6. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिये अन्य राजकीय विभागों से समन्वय स्थापित कर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।
7. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों की समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु वांछित समाधान के संबंध में समय–समय पर अपने प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।
8. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों के विधिक अधिकारों की रक्षार्थ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर उचित विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी।
9. बोर्ड द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के साथ हो रही घरेलू, कार्यस्थल पर हिंसा को रोकने हेतु संबंधित विभाग के साथ एडवोकेसी कर प्रताडित को मदद करना।
10. समुदाय के साथ घरेलू एवं साथी द्वारा शोषण को रोकने हेतु विभिन्न स्तर पर कमेटी का गठन करना।
11. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा समय–समय पर उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक कदम उठाये जा सकेंगे जिन्हें ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों के कल्याणार्थ आवश्यक समझा जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था

राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के कार्यालय की स्थापना जयपुर में की जायेगी। बोर्ड के कार्यालय संचालन एवं कार्मिक के वेतन भत्तों इत्यादि की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशासनिक विभाग के द्वारा राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के कार्य संचालन हेतु अधिकारीगण/कर्मचारीगण इत्यादि निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार विभिन्न विभागों/बोर्ड निगमों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जायेंगे।

बोर्ड संचालन हेतु नियम

1. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड में शासकीय एवं गैर शासकीय सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी। सदस्यों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
2. गैर शासकीय सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा। गैर शासकीय सदस्यों के द्वारा त्यागपत्र देने की अवस्था में रिक्त पदों पर राज्य सरकार के द्वारा नवीन सदस्य की नियुक्ति की जा सकेगी। गैर शासकीय सदस्यों की समय पूर्व कार्यकाल समाप्ति पूर्णतया राज्य सरकार के विवेकाधीन होगी।
3. गैर शासकीय सदस्यों का मनोनयन निरन्तर दो से अधिक कार्यकाल के लिये नहीं किया जा सकेगा।
4. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में की जायेगी। बैठक का आयोजन सदस्य सचिव के द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक बैठक के आयोजन तिथि से 15 दिन पूर्व बैठक आयोजन की सूचना एवं एजेंडा समस्य सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा की जायेगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।
6. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे।
7. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा वित्तीय प्रकरणों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अनुसरण किया जायेगा। प्रशासनिक/सेवा प्रकरणों में राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों का अनुसरण किया जायेगा।
8. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के द्वारा प्रतिवर्ष अपने लेखों का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से करवाया जाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को लेखे प्रस्तुत किये जायेंगे।
9. राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु निर्मित नियमों में संशोधन का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

27.4.2016

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

(73)

क्रमांक: एफ. 15 ( ) ( )/सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/22570-620 जयपुर, दिनांक 29/04/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, न्याय, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. महाप्रबंधक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास मिशन, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
16. आयुक्त/निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. जिला कलेक्टर, ...।
19. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, राजस्थान, जयपुर।
20. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान, जयपुर।
21. परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राजस्थान, जयपुर।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

(37)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 6(20) प्र.सु./ग्रुप–3/2016 जयपुर, दिनांक 01-04-2016

आज्ञा

महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य में तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :–

क्रं. सं.	अधिकारी	पद
1	कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3	एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4	तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि	सदस्य
5	एक मनोवैज्ञानिक/(स्थानीय स्तर पर उपलब्ध)	सदस्य
6	उपनिदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि	सदस्य – सचिव

उक्त समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों की पहचान कर प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र जारी करने का कार्य करेगी। यह प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए मान्य होगा।

उक्त जिला स्तरीय समिति में क्रम संख्या (3) पर अंकित सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्रम संख्या (4) पर अंकित तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि सदस्य जिला कलक्टर की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

क्रम संख्या (5) पर मनोवैज्ञानिक की शैक्षणिक योग्यता एम. ए. (साइकोलोजी) होगी एवं अनुभवी व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, तथा ये बिना कारण बताये हटाये जा सकेंगे।

समिति की बैठक आवश्यकतानुसार जिला कलक्टर द्वारा आयोजित की जायेगी। इस संबंध में आवश्यक इस्तावेज जैसें पंजिकाऐं/पत्रावलियां आदि जिले के उपनिदेशक /सहायक निदेशक (सदस्य–सचिव) द्वारा संधारित की जायेंगी। समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

508

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, बी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ15( )/सा.सु./म.क./सान्यअवि/16–17/ 46135 दिनांक :– 19/7/16

परिपत्र

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल रिट पिटिशन नं. 400/2012 में दिनांक 15.04.2014 को पारित निर्णय के अनुसार ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोडकर उन्हें लाभान्वित किया जावें एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन पत्रों में भी तृतीय लिंग (Transgender) का उल्लेख कराया जावें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना की जा सकें।

सदस्य सचिव राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 802 दिनांक 19.04.2014 द्वारा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय में वर्णित ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए सुरक्षा उपायों (Safeguard) पर दिये गये निर्देशों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। विस्तृत निर्णय वेब साईट http://judis.nic.in/supremecourt/qrydisp.aspx पर उपलब्ध है। उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना आपके स्तर पर करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ15( )/सा.सु./म.क./सान्यअवि/16–17/ 46136–336 दिनांक :– 19/7/16

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष .....।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर .....।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.....।
11. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर.....।
12. गार्ड पत्रावली।

(अशोक कुमार)
अतिरिक्त निदेशक(सा.सु.)

तृतीय लिंग पहचान पत्र हेतु आवेदन–पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो

आवेदक का नाम .....

परिवर्तित नाम .....

निवास स्वयं ( ) किराया ( ) परिवार के साथ स्वयं ( ) समूह ( )

जन्मतिथि ..... उम्र .....ब्लडग्रुप.....

जन्म के समय लिंग .....पता.....

जाति .....

वर्तमान पता .....

ग्राम/वार्ड .....

ग्राम पंचायत/नगरीय विकास .....

तहसील.....जिला .....

फोन नं. .....

शैक्षणिक योग्यता.....

व्यवसाय .....

बीपीएल कार्डधारी .....हाँ/नहीं..... यदि हाँ तो कार्ड नम्बर .....

अन्य महत्वपूर्ण सूचना जिसका साझा करना चाहते हों–

.....

.....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

संलग्नः–

1 शपथपत्र

2 पासपोर्ट साइज फोटो –2

3. जन्म प्रमाण पत्र/जन्म तिथि हेतु दस्तावेज

शपथ पत्र

(नोटरी पब्लिक/ओथ कमीश्नर से अधिप्रमाणित)

मैं, ...पुत्र/पुत्री श्री..... .....और श्रीमती.....आयु ...., व्यवसाय..... , राष्ट्रीयता ..... निवासी..... विश्वास सत्य निष्ठा से निम्न घोषणा करता हूँ कि–

1. मेरा जन्म, दिनांक .....को .....स्थान..... पर हुआ था।

2. मैं जन्म से एक भारतीय नागरिक हूँ और उपरोक्त वर्णित मेरा स्थायी पता है।

3. जन्म के समय मेरा जैविक लिंग.....(पुरुष/स्त्री) था और वही मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, पहचान–पत्र, पेनकार्ड, राशनकार्ड, विद्यालय प्रमाणपत्रों, विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र, बैंक खाता, जीवनबीमा पॉलिसी और अन्य दस्तावेजों में दर्ज किया गया है।

   दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न है और अक्षर "अ" के द्वारा चिन्हित कर दिया गया है।

4. जन्म के समय मुझे..... (पुरुष/स्त्री) के रुप में पहचाना गया, हालांकि मेरा जन्म ट्रांसजेंडर के रुप में हुआ था, मेरी पहचान पुरुष/स्त्री लिंग भूमिका के अनुरुप की गयी / नहीं की गयी और मैं एक महिला/पुरूष, ट्रांसजेडर के रुप में स्वयं को पहचाना जाना पसंद करता हूँ/करती हूँ। लेकिन कानून इसकी अनुमति नहीं देता था, इसलिए मैने अपनी लिंग पहचान एक पुरुष/स्त्री के रुप में जारी रखी, हांलाकि मै उसके अनुरुप नहीं था/थी।

5. वर्तमान में मैं एक .....(स्त्री/पुरूष) हूं और मेरा लिंग ट्रांसजेडर (स्त्री/पुरूष) . ..... के रुप में स्वयं की पहचान चाहता हूँ/चाहती हूँ।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 15 अप्रेल 2014 को (रिट याचिका (सिविल) संख्या 400 – 2012) में निर्णय दिया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्वयं को लिंग की पहचान का अधिकार है मा0 **सर्वोच्च न्यायालय** केन्द्र व राज्य सरकारो को पुरूष,स्त्री तृतीय लिंग के रूप मे कानूनी मान्यता देने एंव सिफारिशों को लागू करने के लिये निर्देशित किया है।

यहां संबंधित पेज संलग्न हैं और अक्षर "ब" से चिन्हित कर दिया गया है।

7. यह है कि अब से मैं अपनी पुरुष/स्त्री भूमिका के अनुरुप स्वयं के वर्तमान नाम .... के स्थान पर .....नाम..से पहचान पत्र चाहता हूँ / चाहती हूँ।

30/

8. मैं घोषणा करता हूँ कि (वर्तमान नाम) .....पुत्र श्री ..... तथा (नया नाम) ..... पुत्री श्री ..... एक ही व्यक्ति है।

9. यह कि भविष्य में मेरे नाम को ले कर कोई भ्रम को समाप्त करने के लिए मैं चाहता हूँ /चाहती हूँ कि मुझे ".....” नाम जाना जावे और यह कि मैं भविष्य में अपने हस्ताक्षर ".....” नाम से करुंगा/करूंगी।

10. यह है कि शपथ–पत्र पर शपथ लेने का उद्देश्य है कि मैं इस समय से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि किसी भी अवसरों के लिए, मैने स्वयं के लिए जो लिंग घोषित कर दिया है, उसका उपयोग निजी के साथ–साथ सभी रिकार्डो, कर्म और लेखन में और सभी कार्यवाही, व्यवहार और लेन–देन में करुंगा/करूंगी।

11. यह शपथ–पत्र मे दिये गये तथ्य मैने स्वयं की इच्छा से, ज्ञान में , ईमानदारी और होशो हवास में दिये है।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मै .....अधोहस्ताक्षरकर्ता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त बिन्दु स. 1 से 11 के तथ्य मेरे ज्ञान मे सही एवं सत्य है कोई तथ्य असत्य नहीं है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

तृतीय लिंग के लिए पहचान–पत्र

क्रमांकRJ/जिलाकोड/..... दिनांक:

पासपोर्ट साईज फोटो

नाम ..... .(पूर्व नाम.....).

जन्म तिथि.....

ट्रांसजेण्डर का प्रकार .....(पुरूष/स्त्री/तृतीय लिंग)

रक्त समूह .....

सम्पर्क नं. .....

वर्तमान पता:.....

स्थाई पता: .....

जारीकर्ता प्राधिकारी हस्ताक्षर

पदनाम

निर्देश–

1. यह पहचान–पत्र सभी शासकीय प्रयोजनो के लिए जैसे–राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र इत्यादि के लिए (तृतीय लिंग हेतु मान्य होगा)
2. इस पहचान–पत्र की सुरक्षा का जिम्मा स्वयं पहचान पत्र धारित का होगा।
3. पहचान–पत्र के खो जाने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देवें एव इसकी प्रति जारीकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

ट्रांसजेण्डर लोगों को पहचान–पत्र जारी करने के लिए जिला स्तरीय समिति हेतु मार्गदर्शिका

1. ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने हेतु विधिक आधार

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेशः ट्रांसजेण्डर नागरिको को पूर्ण अधिकार की आवश्यकता

राजस्थान एवं पूरे विश्व में ट्रांसजेण्डर लोगों के साथ उत्पीडन, भेदभाव, हिंसा एवं शारिरिक शोषण होने का अत्यधिक जोखिम है जिसके परिणाम स्वरूप उनके अधिकारो का हनन होता है। ट्रांसजेण्डर के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA/ नालसा) के द्वारा दायर याचिका संख्या 400/2012 के सम्न्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 अप्रेल 2014 को एक एतिहासिक नालसा निर्णय दिया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसजेण्डर व्यक्तियो के अधिकारो की सुरक्षा एवं मूलभूत हकों के प्रावधान करने के लिये जन्म के समय प्राप्त लिंग की परवाह किये बगैर पूर्ण नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता को माना उक्त निर्णय की अनुपालना मे **सर्वोच्च न्यायालय** ने सभी केन्द्रीय व राज्य सरकारो को छः माह में अर्थात 15 अक्टूबर 2014 तक सिफारिशों को लागू करने के लिये निर्देशित किया। मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार है–

1. Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their rights under Part III of our Constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature.
2. Transgender persons' right to decide their self-identified gender is also upheld and the Centre and State Governments are directed to grant legal recognition of their gender identity such as male, female or as third gender.
3. We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.
4. Centre and State Governments are directed to operate separate HIV Serosurvellance Centres since Hijras/Transgenders face several sexual health issues.
5. Centre and State Governments should seriously address the problemsbeing faced by Hijras/Transgenders such as fear, shame, gender dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal.
6. Centre and State Governments should take proper measures to provide medical care to TGs in the hospitals and also provide them separate public toilets and other facilities.

7. Centre and State Governments should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment.
8. Centre and State Governments should take steps to create public awareness so that TGs will feel that they are also part and parcel of the social life and be not treated as untouchables.
9. Centre and State Governments should also take measures to regain their respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and their social life.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अक्टूबर 2013 में ट्रांसजेण्डर समुदाय के साथ हो रही समस्याओं पर गहन अध्ययन हेतु एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट नालसा निर्णय दिनांक के पूर्व प्रकाशित की गई जो कि निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है – http://socialjustice.nic.in/transgenderpersons.php ।

सूप्रीमकोर्ट के आदेश में भी इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए लागू करने पर प्रकाश डाला था।

2. <u>ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया</u>

(अ) समिति का प्रावधान

ट्रांसजेण्डर को पहचान–पत्र जारी करने के लिए सर्व प्रथम जिला स्तर एक कमेटी का गठन किया जाना है। कमेटी के गठन एवं सदस्यों की जानकारी का वर्णन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक–प. 6 (20) प्र.सु./ग्रुप–3/2016 दिनांक 01–04–2016 में दिया गया है। इस पत्र के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा के अनुसार राज्य में तृतीय लिंग वर्ग के लोगों को पहचान–पत्र जारी करने हेतु जिला स्तर पर निम्न लिखित अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया जावेगा :–

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1	कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3	एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4	तृतीय लिंग वर्ग के दा प्रतिनिधि	सदस्य
5	एक मनोवैज्ञानिक/(स्थानीय स्तर परउपलब्ध)	सदस्य
6	उपनिदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि	सदस्य–सचिव

- उक्त समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों की पहचान कर प्रमाण–पत्र/पहचान –पत्र जारी करने का कार्य करेगी। यह प्रमाण–पत्र/पहचान –पत्र सभी राजकीय प्रयोजनो के लिए जैसे–राशनकार्ड, आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र आदि के लिए मान्य होगा।
- उक्त जिला स्तरीय समिति में क्रम संख्या 3 पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्रम संख्या 4 पर अंकित तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि सदस्य जिला कलक्टर की अभिशंषा पर राज्य द्वारा मनोनीत किये जावेंगे।
- मनोवैज्ञानिक की शैक्षणिक योग्यता एम.ए. (साईकोलोजी) होगी एवं अनुभवी व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, तथा ये बिना कारण बताये हटाये जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही मनोनित सदस्यों क़ा कार्यकाल समिति के अभिशंसा पर बढ़ाया जा सकता है।
- समिति की बैठक आवश्यकतानुसार जिला कलक्टर द्वारा आयोजित की जायेगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे पंजिकाऐं/पत्रावलियां आदि जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक (सदस्य– सचिव) के द्वारा संधारित की जायेगी। समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

(ब) **पहचान–पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया:**

- आवेदक को मार्गदर्शिका के साथ संलग्नक आवेदन प्रारुप में जिला स्तरपर समिति को आवेदन करना होगा।
- आवेदन प्रपत्र के साथ एक नॉन–ज्युडिशियल शपथपत्र देना होगा। जिसमें आवेदक स्वयं की ओर से अपने आपको ट्रांसजेण्डर पहचानपत्र के लिए अपनी पहचान ट्रांसजेण्डर होने की घोषणा करेगा।
- यह आवेदन प्रपत्र जिला स्तर पर कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- जिला स्तरीय समिति आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का सत्यापन करने के पश्चात आवेदक को पहचान–पत्र जारी करेगी तथा पहचान पत्र में ट्रांसजेण्डर के प्रकार कॉलम में स्त्री, पुरूष या तृतीय लिंग का उल्लेख करेंगे।
- पहचान–पत्र छपवाने का दायित्व व खर्च जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

- आवेदक को आवेदन करने के पश्चात 15 कार्य दिवस मैं पहचान–पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को जारी किये गये पहचान पत्र उसके सत्यापन व रिपोर्ट सहित उसके बारें में सम्पूर्ण जानकारी का संधारण जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में किया जायेगा।
- पहचान–पत्र जारी करने के लिए आवेदक का किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण नही किया जायेगा। पहचान–पत्र हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार स्वयं के द्वारा दी गई लिंग घोषणा के आधार पर जारी किया जायेगा।

(स) पहचान –पत्र आवेदन निरस्त होने एव पुनः आवेदन की प्रक्रियाः

1. किसी भी कारण से आवेदन निरस्त होने की स्थिति में आवेदक को निरस्त के कारण सहित 7 कार्य दिवस में सूचित कर दिया जायेगा।
2. सूचना मिलने के बाद आवेदक को पुनरावलोकन हेतु आवेदन करना होगा। इसके लिए एक प्रार्थनापत्र के साथ जिस कारण से आवेदन निरस्त किया गया था उनकी पूर्ति करके पुनः आवेदन करेगा।
3. पुनः आवेदन जिला समिति को ही किया जाना होगा। जिला स्तरीय समिति आवेदन का पुर्नरावलोकन करने के बाद 7 कार्य दिवस में पहचान–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगी। तद्नुसार आवेदक को सूचित किया जायेगा।
4. पुनः आवेदन एवं पुनरावलोकन की प्रक्रिया को कुल 30 कार्य दिवस में पूर्ण किया जाना चाहिए।

(अशोक कुमार)
अति. निदेशक (समूह)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, बी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ15( )/सा.सु./म.क./ट्रांस./सान्यअवि/17–18/ 3051 दिनांक :– 6/04/18

आदेश

राजस्थान राज्य में ट्रांसजेण्डर समुदाय की समस्याओं का अध्ययन कर उनके निराकरण हेतु विशिष्ट नीति निर्धारण करने तथा आवश्यकतानुसार नवीन योजनाओं के निर्माण एवं संचालन के लिए के राजकीय विभागों को समुचित परामर्श हेतु राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के गठन के लिए जारी विभागीय आदेश क्रमांक एफ15( )/सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/27569 दिनांक 29.04.2016 का मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 71/2018 दिनांक 26.03.2018 द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः– एफ15( )/सा.सु./म.क./ट्रांस./सान्यअवि/17–18/ 3051 2–32 दिनांक : 6/04/18
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सान्याअवि।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, महाप्रबंधक, कौशल एवं आजीविका विकास मिशन, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, राजस्थान, जयपुर।
18. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान, जयपुर।
19. निदेशक, राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राजस्थान, जयपुर।
20. अध्यक्ष, नई भोर, स्वयंसेवी संस्था, 187–बी, सिंधी कॉलोनी, बनी पार्क, जयपुर।
21. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

D:\Ramnarayan ji\trangender\tarangender2.docx